

5

कार्या. पट्टा. नम्बर... 701
 डाक की सूचना...
 फाइल नम्बर... M-5 9/2
 दिनांक...
 कार्रवाई की तिथि...

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
 शांति भवन, 14 आनंद मार्ग,
 लखनऊ

संख्या- 33-वि.वि. 23/रा.वि. 23/12 दि. 12/91

दिनांक 23 जनवरी, 1995

प्रति,
 विनियम

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद एक्ट द्वारा परिषद के कार्यवाहियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में विनियम विनियम बनाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद के कार्यवाहियों) का स्थायीकरण विनियम-1995

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ तथा लागू होना

1.1 ये विनियम उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (परिषद के कार्यवाहियों) का स्थायीकरण विनियम-1995 कहलायेंगे।

1.1.1 ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

1.1.1.1 ये ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो परिषद के कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी पद पर आसीन हों तथा इस विनियम निर्मात्री विधनसभा में हों।

2. अध्यादेशों की प्रभाव

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79(1) के अधीन परिषद द्वारा बनाये गये किसी विनियम या परिषद द्वारा लागू किये गये किसी आदेश में कुछ भी असंगत होते हुए भी इस विनियमों के प्रावधान प्रभावी होंगे।

3. परिभाषा :-

जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमों में :-

1.क। "एक्ट" का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 से है।

1.ख। किसी भी सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जो संगत सेवा विनियमों के अन्तर्गत या विनियमों के अभाव में, परिषद द्वारा निहित किसी आदेश या अनुदेश के अन्तर्गत, ऐसे पद या सेवा में नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत हो।

"परिषद" का तात्पर्य एक्ट की धारा-5 के अधीन गठित उ०प्र०

8

- 1घ। इन विनियमों के निमित्त "परिषदीय कर्मचारी" का तात्पर्य परिषद की विनियम निर्मात्री शक्तियों के अधीन परिषद के कार्य कर्ताओं के लिये किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त व्यक्ति से है।
- 1ड। "आरणाधिकार" का तात्पर्य परिषद के कर्मचारी द्वारा किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी अथवा अस्थायी मौलिक रूप से सत्त्वान या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर धारण करने के अधिकार या छोड़ने से है।
- 1च। "विधि" का तात्पर्य परिषद द्वारा एक्ट की धारा 79(सी) के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा, या विनियमों के अभाव में परिषद द्वारा समय-समय पर किसी सेवा या पद विशेष के संदर्भ में निगत अधिभासी आदेशों द्वारा विहित से है।
- 1छ। "सेवा" का तात्पर्य वही होगा जो परिषद द्वारा एक्ट की धारा 79(सी) के अधीन लागू विनियमों में वर्णित है "या विनियमों के अभाव में जो परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये अधिभासी आदेशों एवं अनुदेशों में परिभाषित है।
- 1ज। "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति है जो तदर्थ न होकर सेवा के संबंध में किसी पद पर सुसंगत विनियमों के अन्तर्गत किये गये चयन उपरान्त की गई हो तथा यदि वह सुसंगत नहीं है तो परिषद द्वारा तत्समय विहित किये गये अनुदेशों/आदेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई हो।

4. परिषदीय कर्मचारी का स्थायीकरण

- 1। परिषद के किसी कर्मचारी को केवल तभी मद या स्थायी किया जायेगा जिस पद पर उसकी नियुक्ति :-
- 1। सीधी भर्ती द्वारा या
 - 1। पदोन्नति द्वारा, यदि उस पद मद की कार्यवाही सीधी भर्ती भी हो या
 - 1। पदोन्नति द्वारा, यदि वह पद किसी भिन्न सेवा का हो, मौलिक रूप से की गई हो।
- 2। सेवा स्थायीकरण -
- 1। ऐसे पद पर, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति धारणाधिकार न रखता हो, किया जायेगा;
 - 1। परिषद द्वारा बनाये गये सुसंगत विनियमों व जारी किये गये अधिभासी आदेशों व अनुदेशों, जैसी भी स्थिति हो, में दी गयी स्थायीकरण की शर्तों को पूरा किये जाने की शर्तों से प्रतिबन्धित होगा;

स्थायीकरण:- इस बात के होते हुए भी कि परिषदीय कर्मचारी अन्यत्र कहीं स्थायी किया जा चुका है, यदि किसी पद पर उसकी नियुक्ति सीधी भती द्वारा की जाती है, या किसी ऐसे पद पर पदोन्नति की जाती है जिसे धरने के लिये सीधी भती, भती का स्रोत है, तो उसे ऐसे पद पर भी स्थायी किया जायेगा।

- 131 इन विनियमों के प्रारम्भ होने के दिनांक को, पदधारकों के स्थायीकरण के मामलों को जो विचाराधीन थे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदधारक को स्थायीकरण हेतु उपयुक्त पाये जाने की दशा में, उसके स्थायीकरण के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे यदि इन विनियमों के विनियम 41.1 के अन्तर्गत ऐसे आदेश निर्गत करना आवश्यक हो, या जहाँ ऐसे आदेश निर्गत न करने से पदधारक की वरिष्ठता प्रभावित होती हो।

5. स्थायीकरण जहाँ आवश्यक नहीं है

- 111 यदि परिषद का कोई कर्मचारी नियमित आधार पर सभी विहित प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए किसी पद पर ऐसे तंत्र में पदोन्नति किया जाय जिसमें पदोन्नति ही एक मात्र भती का स्रोत हो, तो उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं है।
- 121 उप-विनियम 111 में संदर्भित पद पर पदोन्नति होने पर परिषद के कर्मचारी को वे सभी लाभ अनुमन्य होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी उकेली व्यक्ति को मिलते यदि कोई परिचीक्षा विहित न की गई होती।
- 131 जहाँ परिचीक्षा विहित की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी परिचीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर परिषद के कर्मचारी के कार्य एवं आचरण का स्वयं आकलन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह परिषदीय कर्मचारी उच्च पद या श्रेणी को धारण करने के योग्य है तो वह इस आशय का आदेश निर्गत करेगा कि उस व्यक्ति ने परिचीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। यदि नियुक्ति अधिकारी का यह विचार है कि सम्बन्धित परिषदीय कर्मचारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा है या इस पर अभी कुछ समय और निगरानी रखना आवश्यक हो तो वह उसकी पदावधि उस पद या श्रेणी पर, कर सकता है जिससे उसे पदोन्नति किया गया था या परिचीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।
- 141 ऐसे मामलों में जहाँ उच्च पद या श्रेणी में पदोन्नति के लिये निम्न पोषक पद पर स्थायी होना एक आवश्यक शर्त विहित की गई हो वहाँ विनियम-4 के उप-विनियम 111 के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी किया गया व्यक्ति उच्च पद पर पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का पात्र होगा और उसका निचले पोषक पद पर स्थायी होना आवश्यक

दुष्कान्त

111. उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लिपिकीय अधिकठान मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय। विनियम-1970 में देसर का पद, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिवासी अभियन्ता में से प्रत्येक के कार्यालय में पूर्ण रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। अधिवासी अभियन्ता के कार्यालय में "क" की नियुक्ति देसर के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की जाती है; अतः "क" को विनियम 4111 के अन्तर्गत देसर के पद पर स्थायी करना होगा।
121. उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के लेखा अधिकठान में लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत "क" एक स्थायी सेवाकार है। सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर लेखा अधिकारी सेवा विनियमावली-1984 के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी के पद पर "क" का पुनः स्थायीकरण करना होगा, क्योंकि सहायक लेखाधिकारी का पद भिन्न सेवा का पद है।
131. "ख" परिषद का एक कर्मचारी है जो उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक सेवा के अधीन प्रवर अभियन्ता के पद पर स्थायी है। अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के उपबन्धों के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति होने के पश्चात् "ख" को विनियम 4111 के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर पुनः स्थायी करना होगा, क्योंकि सहायक अभियन्ता पर भर्ती के स्रोतों में सीधी भर्ती भी एक स्रोत है।
141. "ग" उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है। उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के अन्तर्गत अधिवासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने पर "ग" को अधिवासी अभियन्ता के पद पर पुनः स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि अधिवासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति ही है।
151. उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय जो इलाहाबाद स्थित है, में प्रथम वर्ग सहायक का पद उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय विनियमिता सेवा का पद है। उसी प्रकार उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के मुख्यालय पर अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात् उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सचिवालय अधिकारी सेवा का पद है। "घ" जो स्थायी प्रथम वर्ग सहायक है को अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनः स्थायी करना होगा। अतः उसी सेवा में अनु-सचिव एवं अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति होने पर उसका मामला विनियम 5111 से विनियमित होगा और "घ" को उच्च पदों पर स्थायी नहीं करना होगा।
161. उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली-1970 के अधीन केवल स्थायी अधिवासी अभियन्ता ही अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का पात्र है। सेवा विनियमावली के उपरोक्त उपबन्ध इस विनियमावली के विनियम-5 के तहत विनियम 141 के अधीन उस सीमा तक

33.11.11 विनि-23/रा विप-95-12 विमि/91 तददिनांक

प्रतिलिपि, अधीक्षक, सुतण एवं लेखन सामग्री, 3050 इलाहाबाद
को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त विज्ञापित को 3050 शासन
के बजट के आगामी संस्करण में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से,

सुप्रीम

1 सप्तमी श्रीवास्तव

उप-सचिव

विप

सं०- 33.11.11 विनि-23/रा विप-95-12 विमि/91 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-1/111, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
2. समस्त महा-प्रबन्धक/उप-महा-प्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
3. सभापति, जांच समिति, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
4. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
6. समस्त अधिवासी अभियन्ता, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
7. समस्त अधिकारी, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
8. समस्त नियंत्रक, लेखा स्कन्ध/मुख्य लेखा अधिकारी/निदेशक, आन्तरिक समीक्षा/उप-मुख्य लेखा अधिकारी, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
9. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, 3050 राज्य विद्युत परिषद।
10. बैठक सहायक।
11. ऊर्जा 121 अनुभाग, 3050 शासन।

आज्ञा से,

सुप्रीम

1 सप्तमी श्रीवास्तव

उप-सचिव

विप